2015 | 00005

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प चौहटन

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 35/2015

प्रार्थी	**बनाम्**	**अप्रार्थीगण**
भूराराम पुत्र तिलोकाराम जाति देशान्तरी निवासी चौहटन तहसील,चौहटन		1.सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन 2.अनोपाराम पुत्र शंकरलाल जाति देशान्तरी निवासी चौहटन तहसील,चौहटन

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

निगरानी अर्न्तत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 06(1) दिनांक 20.08.09 जो ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित: 1. श्री रूपसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थितं।

निर्णय दिनाक 03.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने एक आवेदन पत्र मय प्रस्तावित भूखण्ड का नक्शा सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन के समक्ष पेश कर जाहिर किया कि ग्राम चौहटन में मोहल्ला बांकलसर बस्ती में उसके स्वंय का पुश्तैनी कब्जा सुद प्लोट आया हुआ है जिस पर मकान बनाने की ईजाजत दी जाए। इस पर ग्राम पंचायत चौहटन पे पत्रावली कायम कर बाद जॉच प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर ग्राम पंचायत की मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव संख्या 06(1) दिनांक 20.08.2009 पारित कर भवन निर्माण की ईजाजत दे दी। इस प्रस्ताव से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत चौहटन से रिकॉर्ड तलब किया।
3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट चौहटन में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एंव उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे। अप्रार्थीगण एंव उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना।। पत्रावली एंव ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 6(1) दिनांक 20.08.2009 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश की है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी को जिस वांकलसरा बस्ती में भूखण्ड पर ग्राम पंचायत ने निर्माण इजातत दी है वह भूखण्ड निगरानीकर्ता के रहवास का है मगर इस कथन के सम्बन्ध में,उसका प्रमाण भार प्रार्थी पर था। प्रार्थी को यह साबित करना था कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति का भूखण्ड उसके स्वामित्व,आधिपत्य एंव विश्वसनीय है। मगर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी का यह कथन कि किसी भी व्यक्ति के पास स्वंय का या पुश्तैनी आवासीय मकान या भूखण्ड हो तो उसे दूसरे भूखण्ड का आवंटन या पंचायत के भूखण्ड पर निर्माण सम्बन्धी ईजाजत नहीं दी जा सकती है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के पास अपना स्वंय का या पुश्तैनी आवासीय मकान या भूखण्ड हो तो उसे दूसरे भूखण्ड के निर्माण सम्बन्धी ईजाजत नहीं देने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही प्रार्थी ने ऐसा कोई कानूनी साक्ष्य पेश किया है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या 02 के हक मे जारी निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से जारी की हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अपनी पट्टा सुदा भूमि पर मकान बनाने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। इस आवेदन पत्र पर भूखण्ड का मौका निरीक्षण हेतु तीन सदस्यों की मौका कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की। मौका निरीक्षण कमेटी की मौका रिपोर्ट के आधार पर का अप्रार्थी के पुश्तैनी एंव कब्जा सुदा भूखण्ड पर प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 20.08.2009 पारित कर मकान बनाने की ईजाजत दी गई है। राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 48 के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत को किसी विषय पर प्रस्ताव पारित करने से बैठक का प्रारम्भ एंव उसकी वैधानिकता /गणपूर्ति अर्थात् कोरम पर निर्भर करती है। गणपूर्ति के लिये कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। प्रस्ताव संख्या 06(1) दिनांक 20.08.2009 के अवलोकन से बैठक दिनांक 20.08.2009 मे नौ सदस्यों की उपस्थिति दर्शायी गयी है। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व पंचायत का कोरम पूरा होने के उपरान्त पारित किया गया है। ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा विधिवत प्रस्ताव पारित करने में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किसी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नही होती है। ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा पारित प्रस्ताव को खारिज करने हेतु कोई ठोस आधार नहीं है। प्रार्थी पक्ष निगरानी में अंकित तथ्यों को साबित करने में असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा पारित 06(1) दिनांक 20.08.2009 को खारिज करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प चौहटन में आज दिनांक 03.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर